संख्या-03/2018/171जेड/6-सा-3-2017-39जी/2017

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
38-दरबारी लाल शर्मा भवन,
उत्तर प्रदेश सचिवालय।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2018

विषय: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ/मथुरा के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलित धनराशि स्वीकृत करने एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-218/छः-स्व0से0/2018, दिनांक 17-01-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26-08-2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ मद में उपलब्ध बचत में से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, रीवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, डैम्पियर नगर, मथुरा के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार कार्यो हेतु अतिरिक्त रूप से निम्न मद में रू0 43,00,000 (रू0 तैतालिस लाख मात्र) की धनराशि दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

लेखा शीर्षक/मद	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	स्वीकृत धनराशि	कुल धनराशि
अनुदान सं0-28 लेखाशीर्षक-2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें- आयोजनेत्तर-200-अन्य योजनायें-03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन-29-अनुरक्षण	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य	**44.90**	**22.45**	**43.00**
	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, मथुरा के भवन का जीर्णोद्धार कार्य	**18.918**	**9.45**	
	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ की बाहरी दीवारों का प्लास्टर तथा पुताई का कार्य	**10.09**	**5.05**	
	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ के विद्युतीकरण का कार्य	**12.07**	**6.05**	

(रू0 तैतालिस लाख मात्र)

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि की मांग जिस प्रयोजन हेतु की गयी है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

क्रमशः-2

http://upgovt.up.nic.in

3- जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है, में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

5- केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

6- उक्त कार्यों को कराने हेतु कार्यदायी संस्था के चयन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत संस्था अनुमानित लागत का कार्य करने तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिये अधिकृत है और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाय।

7- अनुमानित लागत की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर दूसरी किस्त की धनराशि की मांग स्वीकृत की जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त धनराशि को एकमुश्त ना आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

10- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

11- 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

14- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-200-अन्य योजनायें-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन-29- अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान के ही लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ मद की सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः---3

http://sresaradesh.up.nic.in

संख्या:03/2018/171(1)जेड/6-सा-3--2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट/प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी।
8- इन्चार्ज, एन0आई0सी0 नेट सेल, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, को वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।
9- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- कार्यवाहक अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेवा सदन, रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ।
11- प्रभारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, डैम्पियर नगर, मथुरा।
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(**राजन शुक्ला**)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in